न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारेलाल सोंठवाल (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

प्रार्थना पत्र संख्या– 03/25

तारीख रज्जू 13.09.2019

बउनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र भोमेश्वर दयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 14.2.2022

पत्रवली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प अकबरपुर में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 302/79 रकबा 0.3550 हैक्टेयर बारानी का सम्पूर्ण हिस्सा वाकेग्राम खेडका प्रार्थी की विरासत की आराजी है। प्रार्थी का कब्जा काश्त रिकार्ड एवं मौके पर चला आ रहा है तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के पिता का घर व गॉव में बोलता नाम गुरमल्ली था, जबकि प्रार्थी के पिता का सही व रिकार्ड दस्तावेजात में नाम भोमेश्वर दयाल शर्मा अंकित है। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 16.01.1997 को हो गया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरमल्ली दर्ज हो गया। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम भोमेश्वर दयाल शर्मा दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाल आराजी खसरा नम्बर 302/79 रकबा 0.3550 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा वाकेग्राम खेडका में प्रार्थी के पिता का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में गुरमल्ली को कलमजन कर भोमेश्वर दयाल शर्मा दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 के खाता संख्या 135 (नया) में खसरा नम्बर 302/79 रकबा 0.3550 किस्म

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बारानी 1 दिनेश कुमार पुत्र गुरमल्ली हि.पूर्ण जाति ब्राहमण सा.अकबरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के आधार एवं मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम भोमेश्वर दयाल अंकित है। प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम गुरमल्ली उर्फ भोमेश्वर दयाल शर्मा दर्ज है।

अतः हाल खसरा नम्बर 302/79 रकबा 0.3550 में प्रार्थी के पिता का नाम गुरमल्ली के स्थान पर भोमेश्वर दयाल किया जाना प्रस्तावित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा संलग्न राज्य कर्मचारी भविष्य निधि संस्था द्वारा जारी पी.पी.ओ.प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसे हाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार अलवर की अनुशंषा एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरमल्ली को कलमजन करते हुऐ गुरमल्ली के स्थान पर भोमेश्वर दयाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अलवर को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर